



कारा बी.नि.  
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters  
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002  
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002  
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in

N-15011/1/2021-P&D

दिनांक : 22.02.2024

परिपत्र / Circular

**विषय:-** कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 उपधारा 3 के अंतर्गत ओडिशा राज्य के आंशिक रूप से अधिसूचित नवरंगपुर एवं नयागढ़ जिलों के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी। / Notification under sub section 3 of Section 1 of ESI Act in all the area of partially notified districts i.e. Nabrangpur & Nayagarh the state of Odisha.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 20.02.2024 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 802(अ) एवं 803(अ) दिनांक 20 फरवरी, 2024 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स-20022024-252254)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के आंशिक रूप से अधिसूचित नवरंगपुर एवं नयागढ़ जिलों के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.03.2024 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 802(E) एवं 803(E) dated 20.02.2024 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 20.02.2024 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-20022024-252254)

Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in the entire area of entire area of partially notified district i.e. Nabrangpur & Nayagarh in the state of Odisha shall be effective from 01.03.2024.

**अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है The Current Status of Notified/ Non-Notified districts is as under:**

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	558
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	103
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	117
<b>कुल / Total</b>	<b>661/778</b>

संलग्नक - यथोपरि

22/02/24

(अमित कुमार तिवारी)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, ओडिशा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।